

**अनुदान संख्या 37 – पेंशन**  
**GRANT No. 37 - PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged-</i>	474,45,00	300,83,09	-173,61,91
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>	<i>Amount surrendered during the year</i>			125,00,00
<b>स्वीकृत—</b>	<b>Voted-</b>			
मूल	Original	61694,90,00		
		62676,48,00	62519,39,37	-157,08,63
पूरक	Supplementary	981,58,00		
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन मुख्य रूप से पेंशनों, उपदानों, पेंशनों के सरांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों में अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधियों, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम, निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम तथा जिसमें भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूली गई पेंशनें भी शामिल हैं, के लिए था।

2. अनुदान के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions, Gratuities, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and include Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution.

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Head Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits
मू.	O. 47430.00
पु.	R. -12500.00

34930.00	30075.29	-4854.71
----------	----------	----------

(I) ₹ 4.00 लाख का विनियोग तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹ 4.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) "सिविल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकार (राज्य सरकारों) से वसूली योग्य पेंशन प्रभार" – ₹ 15337.57 लाख की बचत (₹ 31023.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बैंकों से कम स्कॉल प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Civil - Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)" - saving of ₹ 15337.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹ 31023.00 lakhs) was due to receipt of less scrolls from banks.

(III) पाँच शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1578.88 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹ 250.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 500.00 लाख से कम और स्वीकृत विनियोग का 10 प्रतिशत से 36 प्रतिशत थीं।

(III) Under five heads savings of ₹ 1578.88 lakhs occurred, each exceeding ₹ 250.00 lakhs but not exceeding ₹ 500.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 36 percent of the sanctioned appropriation.

3. अनुदान के स्वीकृत भाग में, कुल बचतें (₹ 15708.63 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹ 98158.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 0.25 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹ 15708.63 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹ 98158.00 lakhs obtained in February, 2021 and 0.25 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits			
मू.	O.	6165060.00		
			6263218.00	6247971.88
पू.	S.	98158.00		-15246.12

(I) ₹127.10 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹127.10 lakhs remained wholly unutilized under six heads.

(II) "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:—

(II) Supplementary grant obtained under "Civil" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) "परिवार पेंशन" -

(A) "Family Pensions" -

(क) "नई सुनिर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम (एनपीएस) साधारण परिवार पेंशन के अंतर्गत शामिल किए गए सरकारी सेवकों की मृत्यु/निशक्तता पर अतिरिक्त राहत" - ₹7500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11100.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹919.71 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(a) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Family Pensions" - the original provision of ₹7500.00 lakhs was augmented to ₹11100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3600.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹919.71 lakhs; and

(ख) नई सुनिर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम (एनपीएस) विशेष परिवार पेंशन के अंतर्गत शामिल किए गए सरकारी सेवकों की मृत्यु/निशक्तता पर अतिरिक्त राहत" - ₹1900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2600.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹237.64 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Family Pensions" - the original provision of ₹1900.00 lakhs was augmented to ₹2600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹700.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹237.64 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभागों/मंत्रालयों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) “सुनिर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान” – ₹613210.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹40093.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹653303.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹10081.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) “सिविल” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “पेंशन का संराशिकृत मूल्य” –

(क) “साधारण पेंशन” – ₹80300.27 लाख की बचत (₹515000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹3272.01 लाख की बचत (₹12414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “उपदान – साधारण पेंशन” – ₹8348.09 लाख की बचत (₹452005.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “भविष्य निधि में अंशदान – साधारण पेंशन” – ₹645.47 लाख की बचत (₹1238.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) “केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिन्हें अधिशेष घोषित कर दिया गया है, को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दिए जाने के कारण अनुग्रह राशि का भुगतान – साधारण पेंशन” – ₹849.25 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड.) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले/मृतक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन

Savings under above two heads were due to receipt of less claims from Departments/Ministries.

(B) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme - Government Contribution” - the original provision of ₹613210.00 lakhs was augmented to ₹653303.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40093.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹10081.09 lakhs - due to requirement of less funds towards Government Contribution to New Pension Scheme.

(III) Under “Civil” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Commutated value of Pensions” -

(a) “Ordinary Pensions” - saving of ₹80300.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹515000.00 lakhs);

(b) “Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹3272.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12414.00 lakhs);

(B) “Gratuities - Ordinary Pensions” - saving of ₹8348.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452005.00 lakhs);

(C) “Contributions to Provident Funds - Ordinary Pensions” - saving of ₹645.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1238.00 lakhs);

(D) “Ex-Gratia Payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as Surplus - Ordinary Pensions” - saving of ₹849.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs); and

(E) “Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Govt. of NCT Delhi -

संबंधी प्रभार – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य पेंशन संबंधी प्रभार” – ₹6594.70 लाख की बचत (₹350000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे/नामावली प्राप्त होने के कारण हुई।

(चा) “छुट्टी नकदीकरण हितलाभ – साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹636.17 लाख की बचत (₹7024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य एजी कार्यालयों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹798.88 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत और 93 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें “सिविल” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं।

(I) “अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ – साधारण पेंशन” – ₹66443.31 लाख का अधिक व्यय (₹33496.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3035836.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों से अधिक नामावलियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) “परिवार पेंशन – परिवार पेंशन” – ₹12878.08 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹884600.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक नामावलियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) “छुट्टी नकदीकरण हितलाभ – साधारण पेंशन” – ₹18035.36 लाख का अधिक व्यय (₹223000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

Pensionary charges recoverable from Govt. of NCT Delhi” - saving of ₹6594.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350000.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less claims/scrolls.

(F) “Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹636.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7024.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State AG offices.

(IV) Under two heads savings of ₹798.88 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent and 93 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under - “Civil” under the following heads:-

(I) “Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions” - excess of ₹66443.31 lakhs (against total sanctioned provision of ₹3035836.00 lakhs including supplementary grant of ₹33496.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls from Banks.

(II) “Family Pensions - Family Pensions” - excess of ₹12878.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹884600.00 lakhs including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls.

(III) “Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions” - excess of ₹18035.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹223000.00 lakhs) was due to receipt of more claims.